अध्याय 8

बहती हुई या अटकी हुई लकड़ी के संग्रहण के सम्बन्ध में

धारा 45 कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी , जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं होता, सरकार की सम्पत्ति समझी जावेगी और तदनुसार संग्रहित की जावेगी -

(1) बहती हुई (Adrift), किनारे लगी (Bcached), अटकी हुई (Stranded), या डूबी हुई (Sunk) समस्त लकड़ी -

समस्त काष्ट (Wood) या इमारती लकड़ी , जिस पर ऐसे चिन्ह लगे हैं तो धारा 41 के अधीन बनाये नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिनके चिन्ह अग्नि या अन्य कारणों से मिट गये, बदल गये या बिगड गये हैं, और

ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, समस्त चिन्हित (unmarked) काष्ठ और इमारती लकड़ी ।

जब तक कोई व्यक्ति इस अध्याय में उपबन्धित रूप से अपना अधिकार और हम सिद्ध नहीं कर दे, शासकीय संपत्ति समझी जावेगी।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी, किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाये किसी नियम के अन्तर्गत संग्रहण करने का हकदार है, संग्रहित की जावेगी और ऐसे डिपों में लाई जा सकेंगी जिसे वह अधिकारी बहती हुई लकड़ी की प्राप्ति के लिये अधिसूचित करें।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, किसी लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

धारा 46. बहती हुई इमारती लकड़ी के दावेदारों को सूचना - धारा 45 के अन्तर्गत संग्रहित इमारती लकड़ी की समय-समय पर वन अधिकारी द्वारा सूचना जारी की जावेगी। सूचना में इमारती लकड़ी का विवरण अन्तर्विष्ट होगा तथा इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जावेगी कि वह ऐसी सूचना की तारीख से दो माह से अन्यून अवधि में अपने दावे का लिखित कथन प्रस्तुत करें।

धारा 47. ऐसी इमारती लकड़ी पर किये गये दावे के बारे में प्रक्रिया

(1) पूर्वोक्त अनुसार, दावे का कथन प्रस्तुत होने पर वन अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझता है, या तो दावे को रद्द करने के कारण दर्शाते हुए, दावे को रद्द करेगा या दावेदार को इमारती लकड़ी का प्रदान कर सकेगा।

(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा किया जाता है, वह वन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को सिविल न्यायाल को निर्देशित करेगा, न्यायालय से उसके निराकरण (Disposal) सम्बन्धी आदेश होने तक अपने कब्जे में रख सकेगा।

(3) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिज किया जा चुका है, वह अपने द्वारा दावाकृत इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के लिये खारिजी के तीन माह के अन्दर, वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु कोई व्यक्ति ऐसी खरिजी, या किसी इमारती लकड़ी को रोककर रखे जाने, या हटाने, या इस धार के अधीन अन्य व्यक्ति को परिदान के कारण कोई हर्जाना (Compensation) या कीमत (Cost) सरकार से या वन-अधिकारी से वसूल नहीं कर सकेगा।

(4) जब तक कि ऐसी कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं की गई है या उसके सम्बन्ध में बाद संस्थित नहीं किया गया है, तब तक ऐसी लकड़ी किसी सिविल न्यायालय, क्रिमिनल या राजस्व न्यायालय के आदेश (Process) के अधीन नहीं होगी।

धारा 48. जिसका दावा नहीं किया, उस लकड़ी का व्ययन (Disposal) - यदि यथा-पूर्वोक्त ऐसे कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता, या दावेदार धारा 46 के अधीन निकाली सूचना द्वारा नियम कालावधि के अन्दर दावा नहीं करता है या उसके द्वारा इस प्रकार दावा किये जाने पर उसका दावा खारिज किया गया हो या ऐसी इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के लिये धारा 47 द्वारा नियम अपील कालावधि के अन्दर बाद संस्थित करने का लोप करता है तो ऐसी इमारती लकड़ी का स्वामित्व सरकार में निहित होगा या धारा 47 के अधीन अन्य व्यक्ति को परिदत्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति में ऐसी लकड़ी का स्वामित्व सब इल्जामों (Encumbrances) से मुक्त होकर निहित होगा जिन्हें उसने सृष्ट (Create) नहीं किया है।

धारा 49. ऐसी लकड़ी को हुए नुकसान के लिये सरकार और उसके अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे - किसी हानि या नुकसान के लिये, जो धारा 45 के अधीन संग्रहीत किसी लकड़ी को हुई है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी और जब तक कि कोई वन अधिकारी, ऐसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता, तक तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिये उत्तदायी नहीं होगा।

धारा 50. इमारती लकड़ी के परिदान के पूर्व दावेदार द्वारा दी जाने वाली अदायगी - जब तक कोई व्यक्ति, ऐसी राशि जो, धारा 51 के अधीन बने किसी नियम के अधीन देय है, वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, जो उसे प्राप्त करने का हकदार है, चुका नहीं देता, तब तक वह उपरोक्त इमारती लकड़ी का हकदार नहीं है।

टिप्पणी

धारा 50. वन अधिकारियों द्वारा वन अपराध में जप्त वाहन को दांडिक प्रकरण के लंबित रहते उल्लंघन करने वाले वाहन को अंतरिम रूप से सुपुर्दगी में दने का आदेश पारित करने में संबंधित मजिस्ट्रट सक्षम है। (दिलीप मीया वि. म.प्र. राज्य 2012 (1) म.प्र.लॉ.ज. 137 (म.प्र.)।

धारा 51. नियम बनाने व शक्तियाँ विहित करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का विनियम करने के लिये नियम बना सकेगी : अर्थात्:

(क) धारा 45 में वर्णित सब इमारती लकड़ी का उद्धरण (Salving), संग्रहण (Collection) या व्ययन (Disposal)।

(ख) इमारती लकड़ी के उद्धरण और संग्रहण के लिए प्रयुक्त नावों का प्रयोग व रजिस्ट्रीकरण।

(ग) इमारती लकड़ी के उद्धरण और संग्रहण, स्थानान्तरण, भण्डारन कार्य के लिए राशि का भुगतान।

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयोग में आने वाले हथौड़े और अन्य उपकरणों का प्रयोग एवं रजिस्ट्रीकरण।

(2) राज्य शासन इस धारा के अधीन बने किन्हीं नियमों के उल्लंघन के रूप में शास्तियों के रूप में ऐसी अवधि का कारावास जो [1]1 वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थ दण्ड जो [2]पन्द्रह हजार रूपये तक या दोनों विहित कर सकेगी।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 1 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा संशोधित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.05.83 के पृष्ठ क्र. 1635-45 पर प्रकाशित।
   म.प्र. अधि. क्र. 2998/दस/3/83 दिनांक 24.10.83 के द्वारा विधान क्रमांक 25 वर्ष 83 दिनांक 1.11.83 से प्रभावशील हुआ।